NOTICE

In furtherance of the earlier notices issued in this regard, as also taking note of the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India, as contained in Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 24-03-2020, the competent authority has been pleased to direct that the functioning of the High Court shall be restricted to only urgent matters. For the purposes of enabling hearing of exceptionally urgent matters through video conferencing, it is notified as under:

1. Mentioning of exceptionally urgent matters shall be made telephonically before the following officers of the Registry:-
   (i) Registrar General– (Mob.) 9431017412,
   (Office) 0612-2504111
   (ii) Registrar List - (Mob.) 9431821014,
   (Office) 0612-7158605
2. The mentioning shall be made telephonically before the aforesaid officers of the Registry on a Court working day, only in between 11:00 A.M. to 1:00 P.M., whereafter no call shall be entertained.
3. In respect of matter found extremely urgent by the Hon'ble the Chief Justice, the Registrar General shall immediately inform the Counsel for the petitioner or the petitioner (in case he is appearing in person) to immediately file appropriate applications/ petitions through scanned/ soft copies which may be sent on Email ID "efiling.phc-bih@gov.in".
4. In case such applications/ petitions, as aforesaid are not accompanied by a duly sworn Affidavit and/or Court fees, an undertaking shall be furnished by the Ld. Counsel/petitioner in person, to the effect that the same would subsequently be provided when called upon to do so.
5. Thereafter, the Registrar (List) shall immediately inform all concerned including the Ld. Counsel and the respective officials / staff of the registry about the date and time of listing of such matters.
6. The aforesaid matters shall be heard by the mode of video conferencing by means of Virtual Courtrooms which have already been created. All concerned shall be sent a link with PIN to enable the stakeholders to get connected and facilitate consideration of the matter by video conference via "Vidyo" App, Skype, or any other application.

7. Intimation shall also be given to the Registrar (IT) about the hearing to enable him to ensure flawless and un-interrupted hearing of the case by video conferencing.
8. In case of any technical difficulty, the I/c. Registrar (IT)-Cum-CPC, can be contacted at Mob. No. 9431025042.

It is further notified that in view of aforesaid attending circumstance, as also in view of resolution dated 28-03-2020 of the co-ordination committee of three associations of Patna High Court, the present constitution of benches for 09-04-2020 will be as follows:-

1. Hon'ble D.B.I
2. Hon'ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh

By order of Hon'ble the Chief Justice

Sd/-
(Manoj Kumar Sinha)
Registrar (List)

Patna High Court,
The 8th April, 2020

NOTICE

Take notice that the convicts in custody, in Criminal Revisions/Criminal Appeals, desirous of not challenging the judgement of conviction but confining the challenge only to the sentence, can get their cases listed on urgent basis by having their matters mentioned.

By order of Hon'ble the Chief Justice

Patna High Court,
The 20th March, 2020

Sd/-
(Manoj Kumar Sinha)
Registrar (List)

सूचना

इस संबंध में निर्गत पूर्व सूचनाओं के अग्रसारण में तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-D.M-1(A) दिनांक-24/03/2020 में निहित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय का कार्य केवल आवश्यक मामलों तक ही सीमित रहेगा तथा असाधारण एवं अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई Video Conferencing के द्वारा **सक्रिय करने के लिये** निम्नलिखित सूचना **प्रकाशित की** जाती है :-

1. असाधारण एवं अत्यावश्यक मामलों का उल्लेख (mentioning) दूरभाष के माध्यम से निम्नलिखित अधिकारियों के समक्ष किया जा सकेगाः-

(i) महानिबंधक - (मोबाईल) 9431017412, (कार्यालय) 0612-250411

(ii) निबंधक लिस्ट - (मोबाईल) 9431821014, (कार्यालय) 0612-7158605

2. निबंधन के उपरोक्त पदाधिकारियों के समक्ष मामले का उल्लेख, न्यायालय कार्य दिवस को केवल 11 बजे पूर्वाह्न से 01 बजे अपराह्न तक ही स्वीकार किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात् **किसी प्रकार के निवेदन पर विचार नही** किया जाएगा।

3. माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पाए गए अतिआवश्यक मामलों में महानिबंधक, याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता अथवा याचिकाकर्त्ता (यदि वह **स्वयं पक्षकार हो**) को अविलंब सूचित करेंगे कि वह स्कैन की गई / सॉफ्ट प्रतियों में अपने आवेदनों / याचिकाओं को समुचित तौर पर दाखिल करे जिसे E-mail ID "efiling.phc-bih@gov.in" पर भेजा जा सकता है।

4. यदि उपरोक्त आवेदनों / याचिकाओं के साथ विधिवत शपथ-पत्र एवं / अथवा न्यायालय शुल्क संलग्न नहीं है तो विद्वान अधिवक्ता / याचिकाकर्त्ता, के द्वारा इस आशय का **वचन**-पत्र (undertaking) **देना होगा**, **कि शपथपत्र** एवं **न्यायालय शुल्क की मांग करने** पर वे उसे उपलब्ध कराएँगे।

5. तत्पश्चात्, निबंधक (लिस्टिंग) सभी **सम्बंधित व्यक्तियों**, विद्वान अधिवक्ता एवं निबंधन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी को ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करने की तिथि एवं समय के **बारे** में अविलंब सूचित करेंगे।

6. उपरोक्त मामलों की सुनवाई Video conferencing के माध्यम से वास्तविक न्यायालय कक्ष (Virtual Court Room) के द्वारा की जाएगी जिसका सृजन किया जा चुका है। सभी संबद्ध व्यक्तियों/ **पक्षकारों** को पिन के साथ लिंक भेजा जाएगा ताकि हितधारक (stakeholders) **संयोजित हो तथा** Vidyo App, Skype अथवा अन्य App के माध्यम से मामले के विचारण की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

7. प्रभारी निबंधक (IT)–सह–सी.पी.सी. को भी उक्त सुनवाई की सूचना दी जाएगी ताकि मामले का **विचारण** Video conferencing द्वारा त्रुटिविहीन एवं निर्बाधित होना सुनिश्चित की जा सके।

8. किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर प्रभारी निबंधक (IT)–सह–सी.पी.सी. से मो0 सं0– 9431025042 पर संपर्क किया जा सकता है।

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा पटना उच्च न्यायालय के तीनों संघों के समन्वय समिति के संकल्प दिनांक–28.03.2020 के मद्देनजर दिनांक–09.04.2020 के लिए वर्त्तमान न्यायपीठ का गठन इस प्रकार होगा :–

1. माननीय खंडपीठ–1
2. माननीय न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार
ह0/–
मनोज कुमार सिन्हा
निबंधक (लिस्ट)

पटना उच्च न्यायालय
08 अप्रील 2020

सूचना

ध्यान दें कि आपराधिक पुनरीक्षण/ आपराधिक अपील में सिद्धदोष (convicts) जो अभिरक्षा (custody) में हैं, तथा दोषसिद्धि (conviction) के निर्णय को चुनौती न देकर केवल सजा को चुनौती देना चाहते हैं, वे अपने मामले का उल्लेख करवाकर उसको सूचीबद्ध (listed) करा सकते हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार
ह0/–
मनोज कुमार सिन्हा
निबंधक (लिस्ट)

पटना उच्च न्यायालय
31 मार्च 2020